कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा।

पत्रांकः 471 / दै0आ0सहा0 / 2017 दिनांकः 15.12.2017

ऑन लाईन अतिअल्पकालीन निविदा सूचना

शासनादेश संख्या 1651 / 1–10–2017–12(34) / 03टी0सी0–1 दिनांक 16.11.2017 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु जनपद स्तर पर कुल अंकन 20,00,000.00 रूपये के कम्बल क्रय हेतु ऑन लाईन निविदाये (http://etender.up.nic.in) वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत कम्बल संस्थाओं के स्वामी / प्रबन्धक / प्रतिनिधियों से दिनांकः 21.12.2017 के दोपहर 12.00 बजे तक आमांत्रित की जाती है, जो कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष में जनपद स्तरीय क्रय समिति के समक्ष उपस्थित कम्बल संस्थाओं के स्वामी / प्रबन्धक / प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 21.12.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे टैक्निकल बिड तथा फाईनेन्शल बिड ऑन लाईन खोली जायेगी, उस समय निविदादाता कम्बल संस्थाओं के स्वामी / प्रबन्धक / प्रतिनिधि दो–दो कम्बल सैम्पल व डिमाण्ड ड्राफ्ट / टैक्निकल बिड प्रारूप, (जिसमें कम्बल का पूर्ण विवरण अंकित होगा) लेकर उपस्थित रहेंगे।

ऑन लाईन निविदा के साथ निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र, संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण की छाया प्रतियां तथा धरोहर धनराशि अंकन–50,000.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 जो अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अमरोहा के पक्ष में बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदय का होगा।

शर्तें

1– निविदा के साथ कम्बल का सैम्पल सील बन्द करके प्रस्तुत करना होगा।

2– कम्बल की कीमत रूपये 500.00 (रूपये पांच सौ मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3– आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वज़न कम से कम 2.200 किग्रा0 होना चाहिए। इन कम्बलों में ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए। कम्बलों में पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

4– आपूर्तित संस्था / फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण अंकित करना होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री योग्य नहीं है।

5– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2, लखनऊ के शासनादेश संख्या 8 / 2016 / 548 / 18–2–2016–12(एस0पी0) / 2010, दिनांक 12.08.2016, जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्राधीन उपकर्मों / नियमों / प्राधिकरणों / परिषदों / स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपिका, उत्तर प्रदेश एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्तपोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा ईकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय किया जायेगा।

6– उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड की प्रमाणित व वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उ0प्र0 खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया विकसित करेगा।

7– कम्बलों की आपूर्ति जनपद मुख्यालय पर करने के उपरान्त आपूर्तित कम्बलों की गुणवत्ता की जांच क़राकर जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर स्वीकृत संस्था / फर्म द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत (आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि से चार दिवस के भीतर) करना अनिवार्य है जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

8– सेवाकर / जी0एस0टी0 का भार निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।
9– भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती कर ली जायेगी।
10– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11– वाणिज्य कर विभाग में (उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत) वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है। पैन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जाये।
12– किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति / जिलाधिकारी महोदय का होगा।
13– प्रत्येक विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद अमरोहा होगा।

इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इसके लिये दिनांक 16.12.2017 से दिनांक 20.12.2017 तक किसी भी कार्यालय दिवस पर कलैक्ट्रेट कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दैवी आपदा सहायक से प्राप्त की जा सकती है।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
अमरोहा।